कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/पुनर्भरण/18882/14–15/द्वितीय किस्त/482 दिनांकः– 30-6-2015

जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा(समस्त)

....

विषयः–आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानान्तर्गत सत्र 2014–15 में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित एवं सत्यापित बालकों की द्वितीय किस्त की पुनर्भरण राशि के भुगतान के संबंध में।

प्रसंगः–राज्य सरकार का पत्रांक प.9(1)शिक्षा–5/2010 पार्ट दिनांक 26.12.14

उपरोक्त प्रासांगिक विषयान्तर्गत लेख है कि आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानान्तर्गत सत्र 2014–15 में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित एवं सत्यापित तथा पूर्व सत्रों के क्रमोन्नत बालकों के संबंध में गैर सरकारी विद्यालयों को सत्र 2014–15 की द्वितीय किस्त की पुनर्भरण राशि का भुगतान पूर्व की भांति गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में दिनांक 31.7.15 तक अन्तरित किया जाना है। इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दु ध्यातव्य हैं:–

1. संबंधित बीईईओ/जिशिअ प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालयों को प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा सत्र 2014–15 की प्रथम किस्त की व्यय राशि के अनुसार एक मुश्त ऑनलाईन बजट आवंटन कर दिया गया है।
2. संबंधित जिशिअ माशि कार्यालयों को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा सत्र 2014–15 की प्रथम किस्त की व्यय राशि के अनुसार एक मुश्त ऑनलाईन बजट आवंटन कर दिया गया है।
3. संबंधित बीईईओ/जिशिअ प्राशि/माशि कार्यालयों द्वारा सत्र 2014–15 की द्वितीय किस्त का भुगतान करते समय राज्य सरकार के पत्रांक प.9(1)शिक्षा–5/2010 पार्ट दिनांक 26.12.14 की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।
4. राज्य सरकार के पत्र दिनांक 26.12.14 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार "ऐसे गैर एवं सरकारी विद्यालय जिन्होंने निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें एवं सहायक सामग्री उपलब्ध नहीं कराई है, उन्हें विद्यालय में आरटीई एक्ट के तहत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं सहायक सामग्री उपलब्ध कराने के बाद ही द्वितीय किस्त का पुनर्भरण किया जायेगा।"

   इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी विद्यालय ने प्रथम किस्त के भुगतान के समय क्लेम बिल में पाठ्य पुस्तकें एवं सहायक सामग्री उपलब्ध नहीं करवाने का उल्लेख किया है तथा बाद में पाठ्य पुस्तकें व सहायक सामग्री बालक को उपलब्ध करवा दी है तो ऐसे विद्यालयों के लिए आरटीई पोर्टल पर "प्रमाण पत्र एवं बालकों की सूची" का प्रारूप प्रदर्शित किया गया है। संबंधित विद्यालय द्वारा बालकों को पाठ्य पुस्तकें व सहायक सामग्री उपलब्ध करवाने का प्रमाण पत्र मय बालक/अभिभावक की सूची संबंधित बीईईओ/ जिशिअ प्राशि/माशि कार्यालयों में रजिस्टर्ड (एडी) डाक से प्रस्तुत करें। संबंधित कार्यालय द्वारा **ऑफिस लॉग–इन में पुष्टि** करने के उपरान्त ही विद्यालय द्वारा द्वितीय किस्त का क्लेम बिल जनरेट किया जा सकेगा।
5. संबंधित प्रा/उप्रा/मा/उमा गैर सरकारी विद्यालय का दायित्व होगा कि वे द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु क्लेम बिल जनरेट कर 25 जुलाई 2015 तक या इससे पूर्व संबंधित कार्यालयों में रजिस्टर्ड(एडी) डाक से प्रेषित करें ताकि 31 जुलाई 2015 तक गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान किया जा सके।

6. यदि कोई गैर सरकारी विद्यालय निर्धारित समयावधि में क्लेम बिल की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी संबंधित कार्यालय में रजिस्टर्ड(एडी) डाक से प्रेषित नहीं किये जाने के कारण द्वितीय किस्त के पुनर्भरण से वंचित रहता है तो संबंधित गैर सरकारी विद्यालय का उत्तरदायित्व निर्धारित होगा।
7. संबंधित गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा द्वितीय किस्त के क्लेम बिल की हस्ताक्षरित हार्ड प्रति रजिस्टर्ड (एडी) डाक से निर्धारित समयावधि में प्रेषित कर दी जाती है परन्तु संबंधित बीईईओ/जिशिअ प्राशि/माशि कार्यालयों द्वारा समयावधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारी/कार्मिक का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
8. संबंधित बीईईओ/जिशिअ प्राशि कार्यालयों द्वारा द्वितीय किस्त के भुगतान के पश्चात् 15 अगस्त 2015 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करेंगें। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा कार्यालयों द्वारा द्वितीय किस्त के भुगतान के पश्चात् 15 अगस्त 2015 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करेंगे।
9. जिन बीईईओ/जिशिअ प्राशि/माशि कार्यालयों ने सत्र 2014–15 की प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र अब तक प्रेषित नहीं किया है वे 15 जुलाई 2015 तक रजिस्टर्ड डाक से संबंधित निदेशालय को प्रेषित करेंगें

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर।
4. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि सत्र 2014–15 की द्वितीय किस्त का भुगतान उपरोक्तानुसार करवाये जाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा (समस्त) को पाबन्द करने का श्रम करावें।
5. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एनआईसी केन्द्र, शासन सचिवालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि इस पत्र को आरटीई पोर्टल के होम पेज पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
6. उप निदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा (समस्त)............................को भेजकर कर लेख है कि मण्डल के अधीन जिलों में भुगतान संबंधी कार्य की मोनेटरिंग करते हुए प्रगति रिपोर्ट निदेशालय प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित करें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधिनस्थ बीईईओ कार्यालयों एवं संबंधित गैर सरकारी विद्यालयों से पालना सुनिश्चित करावें।
8. आडिट अनुभाग कार्यालय हाजा/ निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

उप निदेशक(आरटीई)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर